# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 02/22

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | 1 जसवंत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गंगारडा पो. कलरू तहसील मेडता सिटी जिला नागौर।<br>फर्म:–मैसर्स गणेशम् किराणा स्टोर, नागौर रोड, मेडता रोड तहसील मेडता सिटी<br>2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूलाल निवासी सेवगों की पंचायत के पास, सेवगों का मौहल्ला मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर।<br>फर्म:– मैसर्स राजा फूड प्रोडेक्ट, जोधपुर चौकी के पास, मेडता सिटी जिला नागौर |

## आदेश

दिनांक :23.05.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 17-10-21 को मैसर्स गणेशम् किराणा स्टोर, नागौर रोड, मेडता रोड तहसील मेडता सिटी पर खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (सरस्वती) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1615 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/395/एक्ट/2021/227 दिनांक 21.10.21 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ चिली पाउडर (सरस्वती) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण जसवंत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गंगारडा पो. कलरू तहसील मेडता सिटी जिला नागौर एवं राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूलाल निवासी सेवगों की पंचायत के पास, सेवगों का मौहल्ला मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 11-03-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.05.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से मिर्ची पाउडर का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं यह मिर्ची पाउडर राजा फूड प्रोडेक्ट से खरीदता हूं। भविष्य में मिर्ची पाउडर खरीदते समय गुणवता का ध्यान रखकर तत्पश्चात बेचूंगा। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने गणेशम किराणा स्टोर से जो मिर्ची पाउडर का सैम्पल भरा वो मेरी फर्म से पैकिंग किया जाता है, जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृति नहीं होगी। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते है तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/395/एक्ट/2021/227 दिनांक 21.10.21 के अनुसार खाद्य पदार्थ चिली पाउडर (सरस्वती) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 जसवंत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गंगारडा पो. कलरू तहसील मेडता सिटी जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 02 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूलाल निवासी सेवगों की पंचायत के पास, सेवगों का मौहल्ला मेडता सिटी तहसील मेडता सिटी जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, कुल 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)